दिनांक- 28.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.10.2024 को 01 वारण्टी **अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 522/20 व मु0अ0सं0 369/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू0डी0)/न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द को ग्राम चिराऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

ऋषिपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगांव जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 105/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 210/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 369/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- कां0 2462 कोमल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- कां0 2029 प्रीतम सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ व मारपीट के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर सूचना बाबत 05 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर ट्यूशन पढ़कर आ रही वादी की नाबालिग पुत्री व अन्य 04 नाबालिग युवतियों के हाथ व बाल पकड़कर जबरदस्ती दुकान में अंदर खींच लेने, अन्य लड़को द्वारा पीछे से जाकर मारपीट कर मोबाइल नम्बर मांगते हुए गंदे गंदे इशारे करने, पीडिता द्वारा चिल्लाने पर प्रधान पति राजकुमार द्वारा छुडाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए राजकुमार के साथ मारपीट करने व गांव के अन्य लोगो के मौके आने से अपनी मो0सा0 रजि नं0 HR02M2026 को छोड़कर फरार हो जाने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 386/24 धारा 191(2)/115(2)/296/75/351(3)/127 भा0न्या0सं0 व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम 05 अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(1) द,ध व 3(2) (va) एससी एसटी एक्ट की वृद्धि कर अभियुक्त अमजद पुत्र असलम नि0 बिजली घर के पीछे मौ0 बंजारान कस्बा नकुड जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नकुड़ को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 27.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मारपीट व नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें 01 वांछित **अभियुक्त अमजद पुत्र असलम नि0 बिजली घर के पीछे मौ0 बंजारान कस्बा नकुड जिला सहारनपुर** को मौहल्ला बंजारान कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमजद पुत्र असलम नि0 बिजली घर के पीछे मौ0 बंजारान कस्बा नकुड जिला सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 552 हरेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 971 राशिद थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 28.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाला हत्यारोपी पति गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रक्त रंजित लोहे का तवा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.2024 को वादी श्री बिन्दर उर्फ शाहरूख पुत्र शमशेर नि0 ग्राम ज्योतिसर थाना ज्योतिसर जनपद कुरूक्षेत्र हरियाणा की लिखित तहरीरी सूचना बाबत इब्ने अली द्वारा वादी की बुआ शहनाज उर्फ कोती के परिवार वालो से पैसो की मांग करना न देने पर अभियुक्तगण द्वारा प्लान बनाकर शहनाज उर्फ कोती की इब्ने अली द्वारा रोटी बनाने के गर्म तवा से वार कर हत्या कर देने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 387/24 धारा 103(1)/61 बीएनएस बनाम इब्ने अली पुत्र मौ0 तकी व 03 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में हत्यारोपी वांछित **अभियुक्त इब्ने अली पुत्र मौ0 तकी नि0 मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को सीएचसी नकुड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त इब्ने ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं डेन्टिंग पैंटिग का काम करता हूँ लेकिन कुछ दिनो से मेरा काम नही लग पा रहा था मैने अपनी पत्नी के मायके वालो से काम दुबारा चालू करने के लिये पैसे मांगे तो मेरी पत्नी ने पैसे दिलवाने से मना कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया जिस कारण मेरी पत्नी से मेरी अनबन चल रही थी। आज पुनः मैने अपनी पत्नी शहनाज से उसके परिवार वालो से पैसे दिलाने के लिये कहा तो मेरी पत्नी मुझसे बहस करने लगी मेरी बेइज्जती करने लगी इससे मुझे गुस्सा आ गया ओर गुस्से मै मैने रोटी बनाने वाला लोहे का तवा उठाकर अपने पत्नी शहनाज के सिर पर कई वार किये मेरी पत्नी निढाल होकर गिर गयी ओर उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इब्ने अली पुत्र मौ0 तकी नि0 मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- रक्त रंजित लोहे का तवा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 277 आदित्य सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. का0 844 दीपक कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 12 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त असलुब पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम कुम्हारहेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को पिलखनी रेलवे पुल के नीचे बाग के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 332/24 धारा 63 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै कक्षा 5 तक पढा हूँ और शराब पीने का आदी हूँ। इसलिए मैं हरियाणा राज्य से सस्ते दाम पर शराब को चोरी छिपे खरीद कर ले आता हूँ और पिलखनी के आस पास रहने वाले मजदूरो को थोड़े ज्यादा पैसो में बेच देता हूँ जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है और मेरी नशे की जरूरत भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

असलुब पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम कुम्हारहेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का माल्टा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 894 अंकित तोमर थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः 28/10/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2024 को वादी श्री आनन्द प्रकाश पुत्र हुन्नर सिह निवासी बादशाहपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त आदित्य पुत्र अशोक निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर व विवेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी काशीराम कालोनी मवीकला थाना सदर बाजार सहारनपुर को जान से मारने की नियत से फायर किया था जिसमे वादी के पुत्र अंकुर के पैर मे गोली लगने के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 444/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये **अभियुक्त वंश पुत्र नीटू उर्फ लोकेन्द्र निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को कोडियो की पुलिया सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त वंश पुत्र नीटू उर्फ लोकेन्द्र निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री जगवीर सिह कोतवाली देहात सहारनपुर
2- है0का0 682 संदीप ढाका थाना को0देहात सहारनपुर
3- का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना को0देहात सहारनपुर

दिनांकः 28/10/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेत चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28/10/2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 **अभियुक्तगण (1) आरिस पुत्र जाहिद निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व (2) मेहरबान पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम सरकड वासदई थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को चोरी की मोटर साईकिल सहित के विद्यार्थी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-480/24 धारा 317(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। **बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि बरामद मोटरसाइकिल थाना पानीपत सिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 435/2024 धारा 305 BNS से सम्बन्धित है।** गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोगो के पास कोई काम नही है और पैसो की भी तंगी रहती है इसलिए पैसो के लालच में हम दोनो ने दिनांक 22.10.2024 को रात के समय सिविल हास्पिटल पानीपत, हरियाणा के सामने टैक्सी स्टैंड से यह मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी और बाद में पुलिस से पकड़े जाने के डर से मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट तोड़कर कर कही फेंक दी थी। आज हम लोग इस मोटरसाइकिल को कबाड़ में बेचने के लिए जा रहे थे। हम लोग अपना खर्चा व शौक पूरा करने के लिए चोरी करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

(1) आरिस पुत्र जाहिद निवासी शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) मेहरबान पुत्र मुर्सलीन निवासी सरकड वासदई थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 चोरी की होण्डा साईन मोटरसाइकिल (HR 06 AG 2255)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 2452 रक्षित चहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 28/10/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मात्र 32 घण्टे में युवती से मारपीट कर दुष्कर्म करने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अस्लाह/कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26/10/2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त वासिफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा तमंचा लेकर वादिया के घर में घुसने व वादिया को घर पर अकेली पाकर वादिया के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने की सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 478/24 धारा 75/351(3) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक गंगोह को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए युवती से छेड़छाड़ के मामले में वांछित **अभियुक्त वासिफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को कुण्डा कला ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वासिफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महीपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 346 हरेन्द्र धामा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

कां0 2521 राजेश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 28.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री नेमचन्द के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त अरमान उर्फ भूरा पुत्र रियासत अली निवासी मौ0 पठानपुरा रूडकी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** को सम्बन्धित वाद सं0 641/23 मु0अ0सं0 104/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मण्डी स0पुर नियत दिनांक 30.11.2024 (स्पेशल जज एन.डी.पी.एस एक्ट कक्ष संख्या-12 स0पुर) मे मौ0 पठानपुरा रूडकी जनपद हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरमान उर्फ भूरा पुत्र रियासत अली निवासी मौ0 पठानपुरा रूडकी जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 157 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 28.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 वांरटी **अभियुक्त सलमान पुत्र सुलेमान निवासी दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या- 4014 धारा— 147,148,307,323,506,353,332 भादवि व 4/21 खनन व 3(घ)4 उ0प्र0लोक चालानी थाना को0देहात में मौहल्ला खेडा कस्बा सुलातनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

सलमान पुत्र सुलेमान निवासी दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
2. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त आदिल उर्फ दिलशाद पुत्र वसीम निवासी मौ0 कमेला कालौनी 8/4 पीर वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर** को **उनाली जाने वाली रोड पर पैट्रोल पम्प से 100 कदम की दूरी** से गिरफ्तार किया गया। अबियुक्त के **कब्जे से 12 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का** बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त आदिल उर्फ दिलशाद उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 320/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त आदिल उर्फ दिलशाद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब की बोतल खरीद कर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदिल उर्फ दिलशाद पुत्र वसीम निवासी मौ0 कमेला कालौनी 8/4 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 138 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. म0है0का0 630 सुमन शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. म0का0 1071 मोण्टी तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. म0का0 1030 नेहा शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 28-10-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल व 2100/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 22.10.2024 को वादी श्री गुलशन पुत्र कवरपाल सिह निवासी ग्राम नियामतपुर थाना बेहट सहारनपुर द्वारा थाना बेहट पर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटर साईकिल चोरी के सम्बन्ध मे दी गयी। इस सूचना पर थाना बेहट पर मु0अ0स0 338/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतू आदेशित किया गया। आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आज दिनाकं 28.10.2024 को एमआरएफ सेन्टर नगर पचांयत सडक पुख्ता से चैकिग के दौरान **अभियक्तगण 01. रजत उर्फ रोनित पुत्र विजयपाल निवासी मो0 बडी माजरी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर 02. मनदीप पुत्र सन्दीप निवासी उपरोक्त 03. विशाल पुत्र मागे निवासी उपरोक्त** को चोरी की 01 स्पलेण्डर मोटर साईकिल व 2100/-रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम तीनो ने उसण्ड से दिनांक 18.10.2024 को मोटर साइकिल चोरी की थी आज जब हम इस मोटर साइकिल को बेचने के लिये सहारनपुर जा रहे थे तो रास्ते मे हमे पुलिस ने घेरकर पकड लिया हमने मौ0 माजरी में 25/26.10.24 की रात्रि में चौकीदार के घर में घुसकर उसके कमरे में ट्रन्क में पॉलिथीन में रखे हुये 8000 रु0 व कागजात चोरी कर लिये थे जिनमें से बाकी बचे पैसों को पुलिस ने तलाशी कर बरामद कर लिया, चोरी किये कुछ रुपये हमने आपस मे बाँट लिये थे, हम लोगो ने उक्त चोरियो के अलावा जंगल में वन विभाग की लकडियो को काटकर भी चोरी करते रहते है और उन्हे जगह जगह बेचकर अपना खर्च चलाते है चोरी किये गये पैसे हमने दावत व मौज-मस्ती मे उडा दिये,मौज-मस्ती व एशो आराम के खर्चों को पूरा करने के लिये ही हम यह काम करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

01. रजत उर्फ रोनित पुत्र विजयपाल निवासी मो0 बडी माजरी कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर
02. मनदीप पुत्र सन्दीप निवासी उपरोक्त
03. विशाल पुत्र मागे निवासी उपरोक्त

बरामदगी का विवरण

- कुल 2100/-रुपये नकद
- 01 मोटर साइकिल (हीरो स्पेण्डर रंग काला यूपी 11 बी वाई 3172)
- 01आधार कार्ड पवन सिह पुत्र लाल सिह

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0स0 338/24 धारा 303(2).317(2) बीएनएस चालानी थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0स0 343/24 धारा 305(क).317(2) बीएनएस चालानी थाना बेहट सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
3. उप निरी0 श्री राजेन्द्र राठी थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 1325 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 2431 दीपक कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांकः28.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब खाम बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब/मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.10.2024 को 01 नशा तस्कर अभियुक्त **रामकुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को शिमलाना पुल के पास से 20 लीटर कच्ची शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामकुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1- उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

2- हे0कां0 231 राज तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

3- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।